

कृषक उत्पादक समूहों के प्रक्षेत्र पर अगामी रबी 2026–27 में प्रभावी उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन करने की व्यावहारिक रणनीति

कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र में नई तकनीकियों को अपनाने के दृष्टिगत वि"व बैंक समर्थित यूपीएग्रीज परियोजना प्रदेश में पूर्वांचल के 21 जनपदों—वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संतकबीरनगर, सिदार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराईच श्रावस्ती एवं बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों—झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा तथा हमीरपुर जनपदों में यूपीडास्प द्वारा संचालित है।

“परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में कृषकों की फसलोत्पादकता में वृद्धि कर उनकी आय बढ़ाना है, जिससे उनकी जीवन-शैली में आमूल-चूल परिवर्तन परिलक्षित हो सके”

उपर्युक्त उद्देश्य के क्रम में कृषकों के अनौपचारिक कृषक उत्पादक समूहों का गठन किया जाना अवधारित है। गठित कृषक उत्पादक समूहों को उन्नत प्रजाति के उपयुक्त बीजों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना, कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना, बाजार मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में सधार, चुनिन्दा कृषि उत्पादों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, कृषि क्षेत्र के लिए विस्तृत डिजिटल प्लेटफार्म विकसित करना, कृषि बाजार श्रृंखला की कमियों को दूर करना, नई तकनीकी एवं बेहतर बाजार के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित कराना तथा कृषि वित्त उपलब्धता में अपेक्षित सुधार किया जाना है।

परियोजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कृषक उत्पादक समूह वस्तुतः परियोजना का केन्द्र बिन्दु हैं।

1. लक्ष्य—

- आगामी रबी 2026–27 में उत्पादकता वृद्धि के दृष्टिगत गेहूं/मटर/चना/मसूर एवं सरसों की फसलों के उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन किये जाएंगे।
- उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत उत्पादकता वृद्धि, पोषण प्रबन्धन, नमी प्रबंधन, कीट/व्याधी एवं खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कृषक उत्पादक समूह के सहभाग से किया जायेगा।

2. भू-संकुलों का चिन्हांकन एवं कृषक उत्पादक समूहों का गठन—

कृषक उत्पादक समूह — सन्निकट खेत एवं समान विचारधारा वाले 10 से 20 किसानों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक जैसी फसल उगाते हैं एवं अपनी खेती में बदलाव लाना चाहते हैं। कृषक उत्पादक समूह बनाने के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अवधारित है —

व्यक्तिगत सम्पर्क — चिन्हित गांवों में कृषकों से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करते हुए परियोजना के उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराना।

छोटे/बड़े समूहों में विमर्श — व्यक्तिगत सम्पर्क एवं संवाद के उपरान्त छोटे/बड़े समूहों में कृषकों से विमर्श कर विचारों का आदान प्रदान करना।

कृषक उत्पादक समूह गठनार्थ प्रारंभिक बैठक — चिन्हित कृषकों के साथ शुरुआती बैठक गांव की चौपाल या पंचायत भवन में आयोजित कर बैठक में समूह बनाने के उद्देश्य जैसे— सामूहिक रूप से बीज, खाद एवं अन्य निवेशों का क्रय, ट्रैक्टर, लेजर—लेवलर, फर्टीसीड—ड्रिल, कम्बाइन हार्वेस्टर एवं अन्य उपकरणों को किराए पर लेकर समूह द्वारा सहभागी रूप से प्रयोग किए जाने पर चर्चा करें।

समूह का नाम एवं नियमावली — समूह गठन की सहमति उपरान्त समूह का एक सरल नाम जैसे— प्रगतिशील किसान समूह आदि रखें। समूह की बैठकों के अन्तराल का निर्धारण यथा साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक करें। यदि समूह सामूहिक गतिविधियों के नितार्थ कतिपय पूंजी सृजित करना चाहता है तो मासिक योगदान का निर्धारण करें।

समूह के पदाधिकारियों का निर्धारण — सर्वसम्मति से समूह के सक्रिय कृषकों में से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्धारण करें जो बैठकों सहित अन्य कार्यों का समन्वय/निस्तारण करेंगे।

अभिलेखन — समूह द्वारा प्रत्येक बैठक में कार्यसूची अनुसार लिए गए निर्णयों को अभिलेखित किया जाएगा तथा इस पर उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये जाएंगे। इससे भविष्य में बैंक खाता खोलने अथवा विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।

- चिन्हित ग्रामों में 10 से 20 हेक्टेयर के एकीकृत भूखंडों का चिन्हांकन किया जायेगा।
- चिन्हित भूखंडों के 10 से 20 सहभागी कृषकों के कृषक उत्पादक समूह गठित किये जाएंगे।

- कृषक उत्पादक समूह के सहभागी कृषकों का स्थानीय बैंकों में खाता होना चाहिए, यदि समूह में जुड़ते समय खाता न हो तो जुड़ने के उपरान्त यथाशीघ्र खाता खोला जाना होगा।
- कृषक उत्पादक समूह के संचालनार्थ समूह के सदस्यों द्वारा समूह के विभिन्न क्रियाकलापों की विस्तृत एवं सुस्पष्ट नियमावली निर्धारित की जायेगी।
- कृषक उत्पादक समूहों द्वारा समूह के पदाधिकारियों का चिंहांकन/चयन किया जाना होगा एवं पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाएंगे।
- समूह गठन की प्रक्रिया, समूह का स्थानीय बैंक में खाता खोले जाने के उपरान्त ही परिपूर्ण मानी जाएगी।

3. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शनों का आयोजन—

- मृदा स्वास्थ्य की जानकारी हेतु 10–20 हेक्टेयर के चिन्हित भूसंकुलों से प्रति 05 हेक्टेयर के गिड से Z आकार के 05 बिन्दुओं से मिट्टी के नमूने लिये जाएंगे। पांचों बिन्दुओं से लिये गये नमूनों को अच्छी तरह से मिलाकर छाना जायेगा। तैयार इस मिश्रण से 250 ग्राम मिट्टी प्रतिनिधि नमूने के रूप में लेबेल लगी हुयी थैली में रखकर स्थानीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायगा। स्थानीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षणोपरांत आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरित किये जाने सम्बन्धित संस्तुतियां प्राप्त की जायेंगी।
- संस्तुतियों के आधार पर आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरित किया जाएगा।
- कृषक उत्पादक समूहों द्वारा भू-संकुलों के अन्तर्गत चयनित खेतों के तल का गहन अवलोकन किया जायेगा। यदि अवलोकन/पूर्व अनुभव के आधार पर यदि जानकारी में यह आता है कि कुछ खेतों में सिंचाई के पानी के स्तर की गहराई अलग-अलग है तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के पानी का ईष्टतम प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत ऐसे खेतों का लेजर लेवलर से समतलीकरण कराया जायेगा।

4. कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन—

- जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों एवं सहयोगी संगठनों में कार्यरत विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञों का अभिमुखी-करण प्रशिक्षण राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा कराया जायेगा।

- प्रशिक्षित विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा सहयोगी संगठनों के क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखी-करण प्रशिक्षण किया जायेगा।
- प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा कृषक उत्पादक समूह की बैठकों का आयोजन कर सहभागी कृषकों को परियोजना की गतिविधियों से अभिमुख कराया जायेगा।
- विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले अभिमुखी-करण प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण की अभिनव तकनीकी एवं प्रशिक्षण सामग्रियों जिसमें व्यवहारिक हिन्दी में पर्चे, पोस्टर, चित्र-कथा तथा फोटो एवं वीडियो का पयोग किया जायेगा।
- प्रशिक्षणों में प्रस्तावित उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शनों का उद्देश्य, होने वाले लाभ आदि को प्रशिक्षणार्थियों के साथ साझा किया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में स्थानीय विकासखण्ड के कृषि प्रसार अधिकारियों एवं कर्मियों का यथा-आवश्यक सहभाग भी कराया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में पूर्व में किये गये सफल प्रदर्शनों का उदाहरण स्वरूप विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में उन्नत फसलोत्पादन से होने वाले आर्थिक लाभ, जोखिम नियंत्रण एवं उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

5. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन योजना निर्धारण—

- संस्तुति अनुसार प्रमाणित उन्नत प्रजातियों के बीज का चयन एवं प्रबंधन।
- मिट्टी परीक्षण के आधार पर मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरित किये जाने का प्रबंधन।
- सिंचाई जल के इष्टतम प्रयोग क दृष्टिगत उन्नत सिंचाई प्रबंधन।
- कोट/व्याधि/खरपतवार प्रबंधन।
- जुताई से कटाई/मड़ाई तक की समय-सीमा का निर्धारण।
- सुरक्षित भंडारण प्रबंधन।
- कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन प्रबंधन।

6. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन हेतु निवेश व्यवस्था—

- मृदा स्वास्थ्य के दृष्टिगत कम्पोस्ट का प्रयोग किये जाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- संसूचित एवं प्रमाणित प्रजातियों के बीज की समय से व्यवस्था।

- आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा जैविक उर्वरकों की ससमय व्यवस्था।
- सिंचाई जल के इष्टतम प्रयोग के दृष्टिगत भू-सतह का समय से समतलीकरण, उन्नत सिंचाई विधियों के प्रयोग किये जाने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के प्रयोग पर बल दिया जायेगा।

7. सतत अनुश्रवण एवं अभिलेखन—

- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत खेत की तैयारी एवं बुवाई की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उर्वरकों के मात्रा की बेसल ड्रेसिंग, टाप ड्रेसिंग तथा सूक्ष्म तत्वों को पूरित किये जाने की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत सिंचन तिथियों का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत कीट/व्याधि से फसल सुरक्षा तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रासायनिक/जैविक उत्पादों के प्रयोग किये जाने की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उत्पाद के भंडारण के विवरण का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत फसलोत्पादन पर किये गये व्यय विवरण का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उत्पाद के विपणन सम्बंधी विवरणों का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत फसलों के विपणन मूल्य के आधार पर सकल प्राप्ति का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत शुद्ध प्राप्ति का अभिलेखन।

8. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन का प्रचार एवं प्रसार—

- फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सहभागी कृषकों सहित अन्य कृषकों को, आयोजित प्रक्षेत्र दिवसों में आमंत्रित करते हुए प्रदर्शित फसल में दृश्यमान प्रत्यक्ष परिणामों का अवलोकन कराना एवं कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान।
- विकासखण्ड, जनपद तथा परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत कृषक उत्पादक समूहों द्वारा उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत पाए गये दृश्यमान प्रत्यक्ष एवं अभिनव परिणामों से कृषकों के अवलोकनार्थ भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।
- परियोजनान्तर्गत की गयी विभिन्न गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त परिणामों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वृहत प्रचार-प्रसार।

9. परिणाम विश्लेषण एवं समीक्षा—

- उपज, लागत—लाभ विश्लेषण।
- उन्नत सघन पद्धतियों का आर्थिक प्रभाव।
- कृषक उत्पादक समूह के सदस्य किसानों से सतत चर्चा एवं विमर्श।
- कृषक उत्पादक समूह के सदस्य किसानों द्वारा प्रदर्शन किये जाते समय अनुभव की गयी अभिनव गतिविधियों तथा कठिनाइयों आदि पर चर्चा/विमर्श उपरान्त उनके सुझाव।
- विकासखण्ड कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैंक, विपणन केन्द्र एवं अन्य सहयोगी विभागों के साथ सक्रिय समन्वय।